न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2022-117RAAJodhpur2020-49RTA225 Bhagaram ors Vs Gangaram etc

01. भगाराम पुत्र दौलाराम
02. मोहनराम पुत्र दौलाराम
03. लुम्भाराम पुत्र दौलाराम
04. रूपों पत्नि दौलाराम

जाति जाट निवासी अभोणियों का सरा, चवा तहसील व जिला बाडमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. गंगाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी अभोणियों का सरास, चवा तहसील व जिला बाडमेर।
2. प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा चवा।
3. तहसीलदार बाडमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 नवंबर 2021 सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर राजस्व प्रार्थना पत्र सं 56/2015
अनवान गंगाराम बनाम भगाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री कैलाश एन. सारण, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पीराणे खान, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक

नि र्ण य

दिनांक : 12 मार्च 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2015 अनवान गंगाराम बनाम भगाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 नवंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 11 मार्च 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम वास्ते अपील को म्याद में शुमार करने प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नंबर 638/374 रकबा 147.09 बीघा ग्राम अभोणियों का सरा तहसील बाड़मेर में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 599/374 रकबा 145.08 बीघा में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र तलब

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अप्रार्थी/अपीलांट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट्स की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया गया तथा मौका रिपोर्ट पर आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों को स्वीकार करते हुए दिनांक 12.01.2021 को पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का आदेश पारित किया। पत्रावली मौका रिपोर्ट के इंतजार में रहते विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 नवंबर 2021 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 24.09.2019 अपीलांट्स की अनुपस्थिति में रेस्पो. संख्या एक के दबाव में तैयार की गई थी, जिस मौका रिपोर्ट पर अपीलान्टगण या किसी पडौसीयान व मौतबिरान के हस्ताक्षर नहीं है तथा एक मात्र उतरदाता संख्या 1 के हस्ताक्षर है। उक्त मौका रिपोर्ट गलत रूप से तैयार की गई है तथा मौके पर अपीलान्टगण के आलामात के बारे में कोई हवाला नहीं दिया है। आर आई व हल्का पटवार ने मौके पर आये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर उतरदातागण संख्या 1 के कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा उक्त एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 03.03.2020 को प्रस्तुत की गई। अपीलांट्स की ओर से उक्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु प्रार्थना की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.01.2021 को उक्त मौका रिपोर्ट को निरस्त करते हुये पुनः तहसीलदार बाडमेर स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में मौके का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने हेतु आदेश पारित किया गया तथा इसी आशय का पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2021 को तहसीलदार बाडमेर को जारी किया गया, परन्तु तहसीलदार बाडमेर द्वारा न तो मौका निरीक्षण किया गया, न ही मौके पर गया तथा न ही पुनः मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा इसी दरम्यान पत्रावली को प्रशासन आपके द्वारा अभियान 2021 में दिनांक 24.11.2021 को कैम्प कोर्ट डाबलीसरा में रखी गई, जिस बाबत अपीलान्टगण को किसी प्रकार की सूचना/नोटिस दिये बिना ही अपीलान्टगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पूर्व में निरस्त की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर ही आलोच्य आदेश पारित कर दिया, जबकि पूर्व की मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय स्वयं ने अपने आदेश दिनांक 12.01.2021 से निरस्त कर तहसीलदार बाडमेर को आदेशित कर व पत्र दिनांक 22.02.2021 जारी कर पुनः मौका रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स की ओर से पेश जवाब व आपत्ति प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि अपीलान्टगण के खेत के दक्षिण पूर्व के सेवा–सेढ खेत खसरा नम्बर 448 रकबा 38.14 बीघा जो केसरा वगैरा का है, आगे खेत खसरा नम्बर 447 रकबा 73.01 बीघा हनुमान लिखमा वगैरा, खसरा नम्बर 625/450 रकबा 01.07 बीघा का है, उक्त खेतों व विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 599/374 के सेढे पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

आम रास्ता चल रहा है जो प्रार्थी के खेत में जाता है। अगर प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता है तो जो मौके पर रास्ता चल रहा है, वहीं पर आवेदन करें, जहां पर विप्रार्थीगण रास्ता देने हेतु तत्पर है, जहां से रास्ता निकालने से प्रार्थी सहित अन्य कोई लोगों को रास्ता की सुविधा मिलेगी तथा बार बार रास्ते हेतु कोई विवाद नहीं होगा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए (1) के अनुसार पूर्व से प्रयोग में लिये जा रहे कदीमी रास्ते को ही स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना था, परन्तु उतरदाता संख्या 1 द्वारा जिस स्थल पर प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, वहां पर से पहले कोई रास्ता ही नहीं है तथा साथ ही प्रस्तावित रास्ते से आगे कोई सड़क मार्ग या सरकारी रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ते से अपीलान्ट की ढाणिया, टांका व बाडे आदि प्रभावित हो रहे है तथा मौके पर भूमि खाली नहीं है। जिस कारण उक्त रास्ते का कोई औचित्य ही नहीं है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आंखे मूंदकर गलत रूप से रास्ता स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश को निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय के पूर्वादेशों की पालना में नये सिरे से मौका रिर्पोट तलब करते हुए लघुतम एवं निकटतम रास्ते वाले खातेदारो को पक्षकार बनाते हुए निर्णित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करना आवश्यक, उचित एव न्यायसंगत है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 24.11.2021 कैम्प कोर्ट में पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट्स व अधिवक्ता को नहीं थी तथा उसके बाद पीठासीन अधिकारी व अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी लगातार प्रशासन गांवों के संग अभियान में व्यस्त होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय में नियमित कार्यवाही नहीं हो रही थी तथा बाद में हल्का पटवारी को लेकर उत्तरदाता संख्या 1 मौके पर आया तथा अपीलान्टगण की भूमि से जबरन रास्ता निकालने हेतु प्रयास करने लगा, जिस पर अपीलान्टगण ने ऐसा करने का कारण पूछा तो हल्का पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण का निस्तारण होने की जानकारी हुई। तब अपीलांट को अधिवक्ता के जरिये दिनांक 10.03.2022 को आलौच्य आदेश की नकले प्राप्त हुई एवं आलौच्य आदेश एवं सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। जानकारी से हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24 नवंबर 2021 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा तलब मौका रिपोर्ट में रेस्पो. संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है तथा उक्त रास्ता मौके पर चलायमान है। यह उल्लेखनीय है रेस्पो. संख्या एक की खातेदारी खेत एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट्स का खेत पूर्व में एक ही खसरे के भाग रहे है। ऐसी स्थिति में रेस्पो. संख्या एक अपीलांट्स के खसरे में से ही रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय डाबलीसरा में रखे जाने की सूचना बाबत अपीलांट्स को सम्मन जारी किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक अपीलांट्स की ओर से मौका रिपोर्ट दिनांक 24.09.2019 पर आपत्तियॉ प्रस्तुत कर चाहे गये रास्ते से अपीलांट्स के खेत के टुकड़े होने का उज्र किये जाने तथा तथा अपने खेत की माठ की सहारे–सहारे रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.01.2021 को उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार बाड़मेर से उनकी स्वयं की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिये जानते प्रकट होते है।

उपलब्ध अभिलेख मुताबिक तहसीलदार बाड़मेर से मौका रिपोर्ट इंतजार रहते विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को सम्यक सूचना दिये बिना ही पत्रावली को प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत मुख्यालय डाबलीसरा में रखकर विधिविरूद्ध तरीके से पूर्व खारिज मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि के मध्य में से रास्ता प्रदान किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट्स द्वारा पूर्व में दी गई सहमति के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार बाड़मेर से मौका रिपोर्ट तलब कर उसी अनुसार विधिनुसार मामले का निस्तारण करे, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश विधि की मंशा एवं धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कतई विधिसम्मत नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2015 अनवान गंगाराम बनाम भगाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 नवंबर 2021 निरस्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपने आदेश दिनांक 12.01.2021 के अनुसरण में तहसीलदार बाड़मेर से अपीलांट्स की पूर्व स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष की उपस्थिति में मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में मय दूरी जांच रिपोर्ट तलब कर, उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
बाड़मेर